भारत में भ्रस्टाचार और गरीबी खतम करने के लिए भारत स्वाभिमान की मांगे

अमेरिकी और अन्य विकसित देशो की पुलिस में भारतीय पोलिस से भ्रष्टाचार कम क्यों है?

आपने अमेरिका या अन्य विकसित देश जेसे की कनाडा, यू.के.(ब्रिटेन), ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और न्यू-ज़ीलैण्ड के अपने रिश्तेदार, मित्रों से यह अवश्य सुना होगा कि वहा के पुलिस, कोर्ट, न्यायालय और बाकि सभी क्षेत्रो में में भ्रष्टाचार भारत के से बहुत कम है | क्यों ?

उसका एक ही कारण हे की वहा की पुलिस, कोर्ट, न्यायालय और बाकि सभी क्षेत्रो में पुलिस, जज और बाकि सरकारी कर्मचारी आम जनता से डरते हे | और वहा के लोगो ने एसी प्रणाली लागु की हे की मंत्री, मिनिस्टर, राजनेता, सरकारी कर्मचारी, पुलिस और बाकि लोगो को आम जनता से डरना पड़ता हे |

एसी कोनसी प्रणाली हो सकती हे जिसमे जज, मंत्री, मिनिस्टर, राजनेता, सरकारी कर्मचारी, पुलिस और बाकि सरकारी नौकर को आम जनता से डर लगे | इसके लिए आपको ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरुरत नहीं हे यह एक केवल सामान्य ज्ञान हे | उसका कारण है कि वहाँ के नागरिको के पास उनके राजनेता, मिनिस्टर्स, मंत्रियों, सरकारी कर्मचारी एवंम न्यायाधीशों (जज) को काम से या नौकरी से निकालने की और उनको सजा देनेकी प्रक्रिया हे और उनको यह करने के लिए न्यायाधीशों/जजों के सामने गिड-गिडाना या अनुरोध नहीं करना पड़ता.

इस नौकरी से निकालने की प्रक्रिया को राईट टू रिकोल कहते हैं और इस सजा देने की प्रक्रिया को ज्यूरी सिस्टम कहते हैं. मतलब की वहाँ के राजनेता, मंत्रि, सरकारी कर्मचारी एवंम न्यायाधीशों के सर के ऊपर दो लटकती तलवार रेहती है कि अगर में ठीक से काम नही करूँगा तो मुझे नौकरी में से निकाल देंगे और अगर में भ्रष्टाचार करूँगा तो नौकरी में से निकाल देंगे और नौकरी में से निकलने के बाद मुझे सजा भी १५-२० दिन में देंगे |

(१) आम जनता के पास ऐसा अधिकार हो जिससे वो बहुमति से किसी भी जज, मंत्री, मिनिस्टर, राजनेता, सरकारी कर्मचारी, पुलिस और बाकि सरकारी नौकर को नौकरी से निकाल सके |

(२) आम जनता के पास ऐसा अधिकार हो जिससे वो बहुमति से किसी भी जज, मंत्री, मिनिस्टर, राजनेता, सरकारी कर्मचारी, पुलिस और बाकि सरकारी नौकर को कोई भी सजा दे सके, चाहे वो जैल में कारावास हो या फासी |

(३) आम जनता मे से कोई भी नागरिक ज्यूरी* बुलाके किसी भी जज, मंत्री, मिनिस्टर, राजनेता, सरकारी कर्मचारी, पुलिस और बाकि सरकारी नौकर को नौकरी से निकाल सके |

(४) आम जनता मे से कोई भी नागरिक ज्यूरी* बुलाके किसी भी जज, मंत्री, मिनिस्टर, राजनेता, सरकारी कर्मचारी, पुलिस और बाकि सरकारी नौकर को सजा दे सके, चाहे वो जैल में कारावास हो या फासी |

***जूरी प्रणाली (सिस्टम)** - किसी विवाद को देखते हुए उसी जिले, राज्य अथवा राष्ट्र के सभी वयस्क नागरिकों की मतदाता सूची में से क्रमरहित/रैंडम तरीके से 10, 12 अथवा 15 नागरिकों का चयन किया जाता है जिन्हें जूरी/निर्णायक मण्डल का सदस्य कहा जाता है। ये जूरी/निर्णायक मण्डल के सदस्य दलीलें सुनते हैं, साक्ष्यों का परीक्षण करते हैं और फैसले देते हैं । उदाहरण के लिए, भारत में वर्ष 1956 से पहले क्रमरहित/रैंडम तरीके से चुने गए 12 नागरिकों द्वारा कई मुकद्दमें सुलझाए गए थे।

भारत के हरेक अनिवासी भारतीय ने इसपर पहले ही दिन से ध्यान दिया होगा । उदाहरण के लिए, जब मैं अमेरिका में था, उस समय मुझे ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करने पर हवलदारों ने 5 बार रोका था। ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करने के लिए, हवलदारों ने मुझसे 3 बार अर्थदंड/जुर्माना लिया और 2 बार मुझे क्षमा किया, परन्तु एक बार भी उन्होंने संकेत तक नहीं दिया कि घूस लेने में उनकी थोड़ी भी रूचि है । क्यों ? और यह आपके लिए अवश्य ही एक रहस्य होना चाहिए कि अमेरिका में पुलिस/न्यायाधीश भारत की तुलना में इतने कम भ्रष्ट क्यों है ?

क्या अमेरिका की पुलिस/न्यायाधीश भारत की पुलिस/न्यायाधीश की तुलना में मुर्ख हैं कि वो अपने नागरिकों से घूस वसूल करने के चालाकी भरे तरीकों के बारे में नहीं सोच सकते ? नहीं, वे इतने भी मुर्ख नहीं हैं । क्या वे इतने डरपोक हैं कि वे नागरिकों के हाथ न मरोड़ सकें और उनसे घूस ना वसूल सकें? नहीं, वे उतने ही साहसी हैं जितने की भारत की पुलिस है - थोड़े भी कम नहीं । तो क्या अमेरिका के हर पुलिसवाले /न्यायाधीश लालच से परे हैं ? नहीं। किसी भी राष्ट्र में ऐसा नहीं हो सकता की वहाँ के लाखों व्यक्तियों में से कोई भी लालची ना हो । तो क्या अधिक वेतन प्राप्त करना ही भ्रष्टाचार इतना कम होने का एकमात्र कारण है ? अच्छा तो मान लें कि हमने भारत में अपने पुलिसवालों/न्यायधीशों के वेतन इस सप्ताह दोगुने कर दिए तो क्या वे हमें अगले सप्ताह से घूस में 10 प्रतिशत की छूट देंगे? उदाहरण के लिए, वर्ष 2009-2010 में सरकार ने सभी न्यायधीशों के वेतन तीन गुना कर दिए । तो क्या न्यायाधीशों ने अपनी घूस खोरी में अगले दिन 10 प्रतिशत की भी छूट दी ? मेरा अनुमान है, नहीं । यदि भारत सरकार का कोई कर्मचारी यह सोचता है कि जितना वेतन उसे मिल रहा है उसे दोगुना कर दिया जाना चाहिए और इसके लिए उसे घूस लेने की जरूरत है। तो क्या वह 30 वर्ष के वेतन में आने वाले घूस के बराबर वेतन इकट्ठा करने के बाद घूस लेना बंद कर देगा? नहीं, उनमें से अधिकतर कभी नहीं बंद करेंगे। इस प्रकार, वेतन अवश्य ही एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, पर भारत और अमेरिका में भ्रष्टाचार के स्तर में बदलाव लाने हेतु कोई सबसे बड़ा कारक नहीं है। तो और क्या कारण हो सकता है ?

<u>संस्कृति कारण नहीं है</u>

क्या हमारी संस्कृति इसका कारण है? भारत के बहुत से बुद्धिजीवी (कु-बुद्धिजीवी?) के पास 4 अंकों का बौद्धिक स्तर (IQ) है और वे कहते है कि भारत में पुलिसवाले अधिक भ्रष्ट इसलिए हैं क्योंकि हम जनसाधारण अनपढ़ हैं, जागरूक नहीं हैं, हममें नैतिक सदाचार की कमी है, हमारी राजनीतिक संस्कृति बुरी है आदि । दूसरे शब्दों में, 4 अंकों के बौद्धिक स्तर (IQ) वाले इन बुद्धिजीवियों के अनुसार, हम नागरिकगण पुलिस / न्यायाधीश के भ्रष्ट होने के जिम्मेदार हैं । 4 अंकों वाले बौद्धिक स्तर (IQ) के बुद्धिजीवियों द्वारा "पीड़ितों पर ही आरोप" लगाने वाले इन तर्कों को मैं सफ़ेद झूठ कहकर अस्वीकार करता हूँ । यह बात उसी तरह चुभनेवाली लगती है जैसे कोई कहे "बलात्कार के लिए औरतें जिम्मेदार हैं" । यह तर्क कि "नागरिकों में जागरूकता नहीं है" या "नागरिकों की सभ्यता बुरी है" बिलकुल बकवास है। यहाँ तक कि सबसे ज्यादा अशिक्षित व्यक्ति भी यह अच्छी तरह जानता है कि भ्रष्टाचार अनैतिक है और यह एक अपराध है । और सभी पुलिसवालों, न्यायाधीशों व मंत्रियों को यह अच्छी तरह पता है कि भ्रष्टाचार अनैतिक है, गैरकानूनी है। और यहाँ तक की जब अमेरिका में वर्ष 1800 में शिक्षा 5 प्रतिशत से भी कम थी तब भी वहाँ ऐसे भ्रष्ट पुलिस, न्यायाधीश आदि नहीं थे । इस मेरे विचार में कम शिक्षा कोई मुद्दा नहीं है। "नागरिकों में जागरूकता नहीं है" यह 4 अंकों वाले बौद्धिक स्तर (IQ) के बुद्धिजीवियों द्वारा गढ़ा हुआ बिलकुल बकवास है और यह कहना कि "नागरिकों की सभ्यता बुरी है" बिलकुल सफ़ेद झूठ है। तो अमेरिका में भ्रष्टाचार कम होने का असली कारण क्या है?

हम पुलिस दल को मोटे तौर पर दो भागो में विभाजित करते है - कनिष्ठ/जूनियर अधिकारी जैसे हवलदार/दरोग़ा और वरिष्ठ/सीनियर अधिकारी जैसे जिला पुलिस आयुक्त/कमिश्नर । अमेरिका में हवलदार शायद ही कभी घूस मांगते है क्योंकि अमेरिका में जिला पुलिस आयुक्त/कमिश्नर उनके लिए जाल बिछाते हैं । हवलदार जानता है की 100-500 बार कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों में से एक व्यक्ति जिला पुलिस आयुक्त/कमिश्नर का बिछाया हुआ जाल है और यदि वह घूस मांगने का साहस करता है तो वह पकड़ा जा सकता है और उसे कारावास हो सकती है। उदाहरण के लिए, जब मैं वर्ष 1990 से 1998 तक अमेरिका में था, उस समय मुझे ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करने पर हवलदारों ने 5 बार रोका था। ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करने पर हवलदारों ने मुझसे 3 बार अर्थदंड/जुर्माना लिया और 2 बार मुझे क्षमा किया, परन्तु एक बार भी उन्होंने संकेत तक नहीं दिया कि घूस लेने में उनकी थोड़ी भी रूचि है । क्यों? मुख्य कारण है कि वह जानता है कि 200 में से कोई एक ऐसा यातायात

उल्लंधनकर्ता आयुक्त/कमिश्नर द्वारा बिछाया गया जाल होता है और उसे नहीं पता कि कौन सा उल्लंधन जाल है । इसलिए वह 200 मामलों में से एक में भी घूस नहीं लेता । और अमेरिका में बहुत से नोडल अधिकारी जैसे जिला शिक्षा अधिकारी, जिला लोक मुकदमा/अभियोग चलाने वाला अधिकारी, राज्यपाल आदि, अधिकारियों, मंत्रियों, न्यायाधीशों के विरूद्ध जाल बिछाते हैं । समय-समय पर जाल बिछाना सभी कनिष्ठ/जूनियर स्टाफ को घूस लेने से मुक्त रखता है ।

इसलिए यह तथ्य कि "आयुक्त/कमिश्नर जाल बिछाते है" इस बात को दर्शाता है कि क्यों कनिष्ठ/जूनियर स्टाफ भ्रष्टाचार कम करते हैं । लेकिन फिर क्यों अमेरिका में पुलिस आयुक्त/कमिश्नर घूस के प्रचलन को समाप्त करने के लिए जाल बिछाते है जबकि भारत में अधिकांश पुलिस आयुक्त/कमिश्नर हवलदार को घूस वसूल करने का आदेश देते हैं ? इस अंतर का कारण क्या है? क्यों अमेरिका में भी पुलिस आयुक्त/कमिश्नर हवलदारों को घूस वसूल करने का आदेश नहीं देता? इसका एकमात्र कारण है: अमेरिका में नागरिकों के पास मुख्य जिला पुलिस प्रमुख / डिस्ट्रीक्ट पुलिस चीफ को निकालने की प्रक्रिया है। (अर्थात राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को नागरिकों द्वारा हटाने /बदलने की प्रक्रिया) या प्रजा अधीन राजा) । दूसरे शब्दों में, यदि अमेरिका के किसी जिले में नागरिक जिला पुलिस प्रमुख / डिस्ट्रीक्ट पुलिस चीफ को निकलना चाहते हैं तो उन्हें डी आई जी या मुख्यमंत्री या गृह मंत्री के पास जाकर कोई अभियोग/मुकदमा दायर करने की आवश्यकता नहीं है । अमेरिका के नागरिकों को भी उच्च न्यायालयों के न्यायधीशों के पास जाकर कोई बेकार की जनहित याचिका देने की आवश्यकता नहीं है । अमेरिका के नागरिकों को बस यह प्रमाणित करने की आवश्यक्ता है कि जिले के अधिकांश मतदाता पलिस आयुक्त/कमिश्नर को निकलना चाहते हैं । और यदि एक बार किसी जिला पुलिस प्रमुख/ डिस्ट्रीक्ट पुलिस चीफ के विरूद्ध बहुमत प्रमाणित हो जाता है तो उसे निकल दिया जाता है और किसी भी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की हिम्मत नहीं है कि वह उसके निलम्बन के निर्णय पर रोक/स्टे का कोई आदेश दे सके या उसे निलंबित करने में देरी करे। इसी तरह, यदि अमेरिका के नागरिक मुख्यमंत्री, महापौर/नगर अध्यक्ष, जिला न्यायाधीश, जिला लोक अभियोक्ता/प्रोजिक्यूटर , जिला शिक्षा अधिकारी आदि को निकलना चाहें तो उन्हें विधायकों या प्रधानमंत्री या पार्टी के प्रमुख या न्यायाधीश के पास जाने की आवश्यक नहीं है - नागरिकों को मात्र उस जिले या राज्य में बहुमत की राय प्रमाणित करने की आवश्यकता है । इसलिए पुलिस प्रमुख और नोडल अधिकारी डरते है की यदि ये स्टॉफ ज्यादा भ्रष्ट हो गए तो नागरिक उन्हें निकल सकते हैं । और इसलिए पुलिस आयुक्त/कमिश्नर जैसे नोडल अधिकारी जाल बिछाते है और इसीलिए जूनियर स्टाफॅ में भ्रष्टाचार कम है ।

अब प्रश्न है कि क्या नोडल अधिकारी को इस प्रकार से निकालने की प्रणाली अर्थात प्रजा अधीन राजा/भ्रष्ट को हटाना/बदलना अमेरिकी अवधारणा/कॉन्सेप्ट है? क्या यह भारतीय विचारधारा नहीं है, जैसा कि बहुत से प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल - विरोधी बुद्धिजीवी कहते हैं? ऐसा नहीं है। सत्यार्थ प्रकाश का छठा अध्याय है "राज धर्म" । इस अध्याय में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बताया है कि नागरिकों अधिकारियों, मंत्रियों और न्यायाधीशों की शक्ति क्या हैं और उनके दायित्व क्या हैं । छठे अध्याय के पहले ही पृष्ठ में स्वामी दयानंद राज धर्म का बुनियाद स्थापित करते हैं। स्वामी दयानन्द ने दो शब्द दिए है "प्रजा-अधीन राजा" और इन दो शब्दों में इन्होंने अच्छी राजनीति के ऊपर 10,000 प्रस्तावों का सार दिया है और फिर वे इन दो शब्दों का विस्तार करते हैं, "राजा को प्रजा के अधीन होना चाहिए नहीं तो वह नागरिकों को लूट लेगा और राष्ट्र का विनाश कर देगा" । और उन्होंने ये श्लोक अथर्ववेद से लिए हैं । और भारत के पुलिस कमिश्नर, मंत्री, न्यायाधीशों आदि और अमेरिका के पुलिस कमिश्नर, मंत्री, न्यायाधीशों आदि के बीच सरसरी तौर पर तुलना यह दर्शाता है कि हमारे ऋषि मुनि कितने सत्य हैं जिन्होंने अथर्ववेद लिखे हैं और स्वामी दयान्द भी । अमेरिका में नागरिकों के पास जिला पुलिस प्रमुख / डिस्ट्रीक्ट पुलिस चीफ, मुख्य मंत्री आदि को निकालने की प्रक्रिया है अर्थात वे सब पदाधिकारी प्रजा अधीन हैं और इसलिए अमेरिका में जिला पुलिस प्रमुख / डिस्ट्रीक्ट पुलिस चीफ , न्यायाधीश, मुख्यमंत्री आदि नागरिकों को लूटते नहीं बल्कि नागरिकों की सुरक्षा करते हैं जबकि यहाँ भारत में नागरिक किसी जिला पुलिस प्रमुख/डिस्ट्रीक्ट पुलिस चीफ , मुख्यमंत्री आदि को निकाल नहीं सकते अथवा उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते और इस तरह वे प्रजा अधीन नहीं हैं । और इसलिए हम देखते हैं कि यहां भारत में मंत्री व न्यायाधीश

जनसाधारण को लूटने में व्यस्त रहते हैं । स्वामी दयानंद का विश्लेषण कितना उचित है --"जैसे माँसाहारी जानवर अन्य जानवरों को खा जाते हैं, उसी प्रकार कोई राजा जो प्रजा अधीन नहीं है, वह नागरिकों को लूट लेगा" । और इसलिए विश्व के सभी चीजों में से सत्यार्थ प्रकाश के यह दो शब्द स्पष्ट करते है कि क्यों अमेरिकी पुलिस में भ्रष्टाचार कम है । और मेरे लिए यह बड़ी विडंबना है कि सत्यार्थ प्रकाश के इन दो शब्द के महत्व को समझाने के लिए मुझे अमेरिका का उदाहरण देना पड़ रहा है ।

<u>भ्रष्ट को नागरिकों द्वारा निकालने/बदलने/सजा देने का अधिकार और प्रजा अधीन राजा</u>

अब, राइट टू रिकॉल और जूरी प्रणाली (सिस्टम) तथा "प्रजा अधीन राजा" कैसे सम्बंधित हैं ? राइट टू रिकॉल और जूरी प्रणाली (सिस्टम) का अर्थ होता है- वह प्रणाली(सिस्टम), जिसके द्वारा नागरिक किसी भी अधिकारी/ जज /मंत्री को किसी भी समय निकाल सकते हैं और उनको सजा दे सकते हे किसी उच्च अधिकारी के पास गए बिना,केवल बहुमत साबित करने के द्वारा ।

इस तरह से उच्च अधिकारी आम नागरिकों के प्रति जवाबदार होते हैं क्योंकि अधिकारी नियुक्त करने वाले के प्रति जवाबदार नहीं, नौकरी से जो निकाल सकता है उसके प्रति जवाबदार होते हैं, उन्हीं के अनुसार और उनके लिए काम करते हैं | राइट टू रिकॉल (और राईट टू रिकाल पर आधारित जूरी प्रणाली) एकमात्र ज्ञात प्रणाली है जो राजा को प्रजा अधीन बनाती है और इस प्रकार मंत्री, अधिकारी, पुलिस, और न्यायाधीशों में भ्रष्टाचार कम करती है। बहुत सारे अन्य संस्था आधारित विकल्प प्रस्तावित हुए हैं जैसे पुलिस बोर्ड, न्याय आयोग आदि। पर वे सब बिलकुल असफल साबित हुए हैं । इस तरह की संस्थाएं भ्रष्टाचार को केवल कुछ समय के लिए रोकती हैं, उसे कम नहीं करतीं । कोई प्रणाली जो राजा को प्रजा से स्वतंत्र (निरंकुश) रखती है वह केवल भ्रष्टाचार को दूसरे हाथों में देती है, उसे कम नहीं कर सकती ।

यदि नागरिक के पास अधिकारियों, न्यायाधीशों, मंत्रियों आदि को निकालने का सीधा कोई मार्ग नहीं होगा, और उन्हें निकलने के लिए अन्य अधिकारियों , न्यायाधीशों ,विधायकों, सांसदों, मंत्रियों आदि से याचना करना पड़ेगा तो ऐसे में कोई नागरिक अधिकारियों, न्यायाधीशों और मंत्रियों पर नियंत्रण करने में असफल होगा । अधिकारी, मंत्री, न्यायाधीश आदि जीवन भर घूस लेंगे, अनैतिक कार्यों पर समर्थन की मांग करेंगे और नागरिकों पर अवर्णनीय/बहुत ज्यादा अत्याचार करेंगे। और इससे भी बुरा होगा कि वे अपने राष्ट्र को विदेशियों के हाथों बेच देंगे। अधिकारी, मंत्री, न्यायाधीश आदि चाहे वे जूनियर हों या सीनियर, आपस में "एक दूसरे को बचाने" वाला सांठगांठ बनाएंगे और इन सांठगांठ का प्रयोग करते हुए वे एक दूसरे को सुरक्षित रखेंगे । इस प्रकार, भ्रष्टाचारियों के लिए कोई दंड नहीं रहेगा और भ्रष्टाचार अनियंत्रित गति से फैलेगा। वे हमेशा "प्रमाण का अभाव" को बहाना बनाएंगे और साथी भ्रष्ट मंत्रियों, अधिकारियों, न्यायाधीशों के भ्रष्टाचार का समर्थन करेंगे। नागरिकों का सीधा हस्तक्षेप मानव-जाति में ज्ञात एक मात्र प्रणाली है जो इन सांठगांठों से मुक्ति दिला सकती है ।

हटाने का भय और सजा का भय *<u>एकमात्र</u>* कारण है कि क्यों अमेरिका और अन्य देशो में पुलिस प्रमुख, न्यायाधीश आदि भारत के पुलिस प्रमुखों , न्यायाधीशों आदि की तुलना में बहुत कम भ्रष्ट हैं । कृपया ध्यान दें - अन्य कोई कारण नहीं है । और मैं एक बार फिर दोहराता हूँ - **<u>अन्य कोई कारण नहीं है ।</u>** और सभी गलत तर्कों में से **सबसे बेकार तर्क है "राजनीतिक संस्कृति"** । "जागरूकता का अभाव" एक और बहुत गलत तर्क है ।

<u>भारत में प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल का संक्षिप्त इतिहास</u>

प्रजा अधीन राजा (राइट टू रिकॉल और ज्यूरी सिस्टम/प्रणाली) का वर्णन अथर्ववेद में है । अथर्ववेद कहता है की सभी नागरिकों की जनसभा राजा को निकाल सकती है और उनको सजा भी कर सकती हे ।

महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के छठे अध्याय में राज धर्म का वर्णन किया है और प्रथम 5 श्लोकों में से एक में वे कहते हैं - राजा को प्रजा के अधीन होना चाहिए अर्थात वह हम आमलोगों पर आश्रित हो । कृपया ध्यान दीजिए - उन्होंने "अधीन" शब्द का प्रयोग किया है जिसका अर्थ होता है पूर्णत: आश्रित और अगले ही श्लोक में महर्षि दयानंद जी ने कहते हैं यदि राजा प्रजा के अधीन नहीं है तो वह राजा प्रजा को उसी तरह लूट लेगा जिस तरह एक मांसाहारी जानवर दूसरे जानवरों को खा जाता है। और इस प्रकार वैसा राजा (जो प्रजा के अधीन नहीं) राष्ट्र का विनाश कर देगा । और महर्षि दयानंद जी ने ये दोनों श्लोक वर्षों पहले लिखे गए अथर्ववेद से लिए हैं । और यहाँ राजा में प्रत्येक राज कर्मचारी सम्मिलित है अर्थात उच्चतम न्यायालय/सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से लेकर पटवारी तक सरकार के सभी कर्मचारी । सरकार का प्रत्येक कर्मचारी प्रजा के अधीन होना चाहिए अन्यथा वह नागरिकों को लूट लेगा । ऐसा ही वे महात्मा कहते हैं जिन्होंने अथर्ववेद लिखा और महर्षि दयानंद सरस्वती जी उन महात्माओं की बात से सहमत हैं। इस प्रकार प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल भारतीय वेदों के मूल में है और इस प्रकार सारी भारतीय विचारधाराओं, भारतीय मत, पंत और धर्मों ने अपनी आधारभूत भावना वेदों से ही ली हैं ।

और कृपया ध्यान दीजिए - दयानंद सरस्वती जी संविधान-अधीन राजा के बारे में नहीं कहते। वे प्रजा अधीन राजा (राइट टू रिकॉल और ज्यूरी सिस्टम/प्रणाली) के बारे में कहते हैं। भारत में, 4 अंकों के स्तर के बुद्धिजीवियों ने हमेशा उस बात का विरोध किया जो अथर्ववेद और सत्यार्थ प्रकाश सुझाते हैं । 4 अंकों वाले स्तर के ये बुद्धिजीवी कहते हैं कि राजा और राज कर्मचारी अर्थात सरकारी कर्मचारियों को प्रजा के अधीन कदापि नहीं होना चाहिए बल्कि उन्हें केवल संविधान-अधीन अर्थात किताबों के अधीन जैसे संविधान के अधीन होना चाहिए। संविधान-अधीन राजा अर्थात संविधान-अधीन मंत्री, संविधान-अधीन अधिकारी, संविधान-अधीन पुलिसवाले और संविधान -अधीन न्यायाधीश की पूरी संकल्पना ही एक छल है क्योंकि तथाकथित संविधान की व्याख्या को न्यायाधीशों, मंत्रियों आदि द्वारा एक मोम के टुकड़े की तरह तोड़ा-मरोड़ा जा सकता है। संविधान की पूरी संकल्पना एक राक्षसी विचार है जिसे केवल भ्रम पैदा करने के लिए ही सृजित किया गया है ।

<u>आधुनिक भारत में राइट टू रिकॉल</u>

भारत में एम एन रॉय ने 1946 में लिखी अपनी पुस्तक "द ड्राफ्ट कान्सटिट्यूशन ऑफ इंडिया" में प्रजा-अधीन राजा/राइट टू रिकॉल का समर्थन किया। भारत की दो प्रमुख कम्यूनिस्ट पार्टी/दल सी पी आई और सी पी एम अपने भाषणों में वर्ष 1950 के दशक से ही वापस बुलाने के अधिकार अर्थात प्रजा-अधीन राजा/राइट टू रिकॉल की मांग करते आ रहे हैं। और भारत में 960 से भी अधिक पंजीकृत पार्टी/दल हैं जिनमें से तीन सौ से अधिक पार्टी/दल प्रजा-अधीन राजा/राइट टू रिकॉल का समर्थन करते हैं। जय प्रकाश नारायण 1950 के दशक से ही प्रजा-अधीन राजा/राइट टू रिकॉल की मांग करते रहे और 1970 के दशक में उन्होंने अपनी मांग तेज कर दी थी। जनता पार्टी के 1977 के चुनाव घोषणापत्र, जिसपर मोरारजी देसाई, अटल बिहारी बाजपेई और लाल कृष्ण आडवानी आदि सरीखे नेता चुनाव लड़े, की मुख्य मांगों में से एक प्रजा-अधीन राजा/राइट टू रिकॉल की मांग थी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने असंख्य बार प्रजा-अधीन राजा/राइट टू रिकॉल का समर्थन किया है। और उनके द्वारा इसके लिए समय आने पर कार्रवाई न करना निराशाजनक है। उदाहरण के लिए, 1977 में, बहुत बड़े अंतर से संसद का चुनाव जितने के बाद यदि जय प्रकाश 500,000 युवाओं को संसद को घेरने और तबतक सांसदों से बाहर आने नहीं देने को कहते जबतक कि वे प्रजा-अधीन राजा/राइट टू रिकॉल कानून को लागू न कर दें, तो भारत को तीन ही दिनों में प्रजा-अधीन राजा/राइट टू रिकॉल कानून मिल गया होता । लेकिन जयप्रकाश ने कभी भी युवाओं से ऐसा आह्वान नहीं किया । वर्ष 2004 में भी जब सी पी आई/सी पी एम के 60 सांसद थे तब भी उन्होंने अपने प्रजा-अधीन राजा/राइट टू रिकॉल प्रारूप/ड्राफ्ट पर मतदान की मांग नहीं की।

और भारतीय सांसदों और उम्मीदवारों में से किसी ने भी (मुझे छोड़कर) कभी प्रजा-अधीन राजा/राइट टू रिकॉल का प्रारूप/ड्राफ्ट प्रस्तुत नहीं किया। मई 2009 में संसद के चुनाव में 5000 से ज्यादा उम्मीदवार थे। लालू यादव जैसे कईयों ने कहा कि वे प्रजा-अधीन राजा/राइट टू रिकॉल का समर्थन करते हैं। लेकिन मैं एकमात्र उम्मीदवार था जिसने उस प्रजा-अधीन राजा/राइट टू रिकॉल कानूनों का प्रारूप/ड्राफ्ट दिया जिसका मैं समर्थन करता हूँ । सी पी आई और सी पी एम के सांसदों ने उन प्रजा-अधीन राजा/राइट टू रिकॉल प्रक्रिया/तरीकेओं के प्रारूप/ड्राफ्ट उपलब्ध कराने से हमेशा इनकार किया जिनका वे समर्थन करते हैं। जय प्रकाश नारायण ने 25 वर्षों में कभी प्रारूप/ड्राफ्ट नहीं दिए और हमेशा प्रारूपों पर चर्चा को टालते रहे। लालू यादव और मुलायम सिंह यादव जैसे जय प्रकाश नारायण के अनुयायी दावा करते हैं कि वे प्रजा-अधीन राजा/राइट टू रिकॉल का समर्थन करते हैं लेकिन जिन कानूनों का समर्थन करने का वे दावा करते हैं उनके प्रारूप/ड्राफ्ट देने से इन्होंने मना कर दिया। सोमनाथ चटर्जी पिछले 25 वर्षों से सांसद रहे हैं और 25 वर्षों से इन्होंने प्रजा-अधीन राजा/राइट टू रिकॉल का समर्थन किया है लेकिन जिस प्रजा-अधीन राजा/राइट टू रिकॉल कानून का ये समर्थन करते हैं उसका प्रारूप/ड्राफ्ट को इन्होंने कभी आत्मसात नहीं किया। **मरे विचार में, ये सभी प्रारूप/ड्राफ्ट रहित नेता झूठे, जालसाज, धोखेबाज और ढोंगी हैं।**

1990 तक, समाचारपत्रों के स्तंभलेखक, पाठ्यपुस्तकों के माफिया और मीडिया के मालिकों ने यह तय कर दिया कि समाचार पत्रों और पाठ्यपुस्तकों में प्रजा-अधीन राजा/राइट टू रिकॉल पर कोई जानकारी बिलकुल ही नहीं है। आज, शायद ही कोई युवा यह जानता है कि प्रजा-अधीन राजा/राइट टू रिकॉल का मतलब क्या है और यहां तक कि राजनीति शास्त्र के स्नातकोत्तर/एमए भी नहीं जानते कि अमेरिका के नागरिकों के पास पुलिस प्रमुख और न्यायाधीशों के विरूद्ध प्रजा-अधीन राजा/राइट टू रिकॉल है। यहां तक कि जय प्रकाश नारायण के समर्थकों ने भी 1980 के बाद व्यवहारिक तौर पर प्रजा-अधीन राजा/राइट टू रिकॉल की अनदेखी करना शुरू कर दिया।

भारत में धनवान व्यक्ति प्रजा-अधीन राजा/राइट टू रिकॉल से अत्यंत घृणा करने लगे। अब अधिकांश बुद्धिजीवी धनवान लोगों के ऐजेंट हैं और इसलिए सभी बुद्धिजीवियों ने भी प्रधानमंत्री, मुख्य मंत्रियों, न्यायाधीशों के विरूद्ध प्रजा-अधीन राजा/राइट टू रिकॉल का विरोध किया । इस हद तक कि भारत के इन बुद्धिजीवियों ने अपने स्तंभों और पाठ्यपुस्तकों में इन समाचारों को भी लिखने से इनकार कर दिया है कि अमेरिका के नागरिकों के पास जिला पुलिस प्रमुखों और न्यायाधीशों को निकालने की प्रक्रिया/तरीके है। यह सोचकर कि ऐसे न हो कि ये जानकारी से समाचार पाठक और छात्र प्रजा-अधीन राजा/राइट टू रिकॉल के बारे में सोचने लगें । अधिकांश सांसदों, विधायकों, मंत्रियों, सेनानिवृत्त न्यायाधीशों आदि जिनसे मैं मिला हूँ , उन्होंने प्रजा-अधीन राजा/राइट टू रिकॉल का विरोध किया है और सबसे ज्यादा नुकसान किसी और ने नहीं बल्कि जय प्रकाश नारायण ने किया है जिन्होंने हमेशा स्वयं को प्रजा-अधीन राजा/राइट टू रिकॉल के समर्थक होने का दिखावा किया लेकिन जब जनता पार्टी के उनके अपने आदमी वर्ष 1977 में सत्ता में थे तब प्रजा-अधीन राजा/राइट टू रिकॉल का प्रारूप/ड्राफ्ट प्रस्तावित करने से मना कर दिया ।

मैं नागरिकों से अनुरोध करता हूँ कि वे उन नेताओं से प्रजा-अधीन राजा/राइट टू रिकॉल कानूनों के प्रारूप/ड्राफ्ट की मांग करें जो प्रजा-अधीन राजा/राइट टू रिकॉल का समर्थक होने का दावा करते हैं। इस अनुरोध से बचने या इसकी अनदेखी करना यह साबित कर देगा कि वे वास्तव में प्रजा-अधीन राजा/राइट टू रिकॉल का समर्थन नहीं करते और वे केवल पांचवीं सदी के यूनानी चिकित्सक की ही तरह हिपोक्रैटिक हैं।

कुल मिलाकर, समकालीन भारत में अर्थात वर्ष 2010 में मैं उन कुछेक राजनीतिज्ञों में से हूँ जो प्रजा-अधीन राजा/राइट टू रिकॉल की जानकारी फैला रहे हैं। यदि मेरा तरीका सही है तो जल्दी ही नया आने वाला हरेक राजनीतिज्ञ प्रजा-अधीन राजा/राइट टू रिकॉल का समर्थन करने को बाध्य होगा और इससे भारत में प्रजा-अधीन राजा/राइट टू रिकॉल का आना सुनिश्चित होगा।

<u>भ्रस्टाचार को रोकने के लिए जज प्रणाली और जूरी प्रणाली तुलना</u>

जज प्रणाली (सिस्टम)	जूरी प्रणाली (सिस्टम)
भारत में व्यक्तियों का एक छोटा समूह। मान लीजिए, 20,000 से 100,000 व्यक्ति भारत में सभी 20-25 लाख मुकद्दमों का फैसला/निर्णय करते हैं।	जूरी प्रणाली(सिस्टम) में, प्रत्येक मुकद्दमा 12-15 अलग-अलग उन जूरी/निर्णायक मण्डल के सदस्य के पास जाता है जो जिले, राज्य और राष्ट्र से चुने गए होते हैं। 20-25 लाख मुकद्दमें 3 करोड़ नागरिकों द्वारा सुलझाए जाते हैं।
अनेक मुकद्दमें एक ही व्यक्ति-समूह के पास चले जाते हैं। एक जज अपने पूरे सेवाकाल/कैरियर के दौरान लगभग 500 से 200,000 मामलों की सुनवाई करता है |	प्रत्येक मुकद्दमें के साथ जूरी/निर्णायक मण्डल के सदस्य बदल जाते हैं। एक नागरिक कम से कम 5 वर्षों के लिए फिर से जूरी/निर्णायक मण्डल के सदस्य नहीं बन सकता है।
यदि किसी जिले में हर वर्ष 5000 मुकद्दमें/मामले आते हैं और मान लीजिए, 5 वर्षों में 25,000 मुकद्दमें आते हैं तो जज प्रणाली(सिस्टम) में लगभग 20-25 जजों/न्यायाधीशों द्वारा उन्हें निपटाया जाता है।	जूरी प्रणाली(सिस्टम) में, इन्हें 300,000 से 400,000 भिन्न-भिन्न नागरिकों द्वारा सुलझाया जाएगा।
एक जज का कार्यकाल 3-4 वर्षों का होता है। यह जजों/न्यायाधीशों और संगठित/व्यवस्थित अपराधियों के लिए सौदा करने के उद्देश्य से जजों/न्यायाधीशों के संबंधियों से संपर्क कायम करने के लिए लम्बा समय है।	जूरी प्रणाली(सिस्टम) में 12 जूरी(निर्णायक मण्डल) के सदस्य को 5 लाख से लेकर 100 करोड़ तक की जनसंख्या में से चुना जाता है। इसलिए, इन जूरी/निर्णायक मण्डल के सदस्य के पास केवल 1 ही मुकद्दमा होता है। इसलिए 99 प्रतिशत मुकद्दमें केवल 5 से 15 दिनों में ही समाप्त हो जाते हैं। इसलिए पहले तो ऐसा होने की संभावना न के बराबर है कि कोई वकील इस दुनिया में मौजूद हो जो इन 12 जूरी/निर्णायक मण्डल केसदस्यों का रिश्तेदार हो अथवा इनमें से 6 अथवा यहां तक कि इनमें से किन्हीं दो का भी रिश्तेदार निकले। और उन्हें 15 दिनों के भीतर ही खोज निकालना इस कार्य को और अधिक कठिन बना देता है।
भारत में औसतन हर जिले में 5000 मुकद्दमें आते हैं और उन्हें उस जिले के 50-100 जजों/न्यायाधीशों के पास भेजा जाता है। इसलिए, वकील लोग व्यक्तिगत रिश्तों का उपयोग करके इतने कम जजों/न्यायाधीशों से साँठ-गाँठ/मिली-भगत बनाने में आसानी से सफल हो जाते हैं।	यदि इन 5000 मुकद्दमों को 5000 बैचों/समूह जिनमें से हर बैच/समूह में 12 जूरी/निर्णायक मण्डल के सदस्य हों, द्वारा सुलझाया जाए तो 10 से भी कम बैचों/समूहों में ही साझे रिश्तेदार वकीलों वाले 2 जूरी/निर्णायक मण्डल के सदस्य होंगे।
कई न्यायालय परिसरों में 2 या 2 से अधिक जज गठबंधन/कारटेल बना लेते हैं। जज `क`, जज `ख` के रिश्तेदार वकीलों का पक्ष लेता है और जज `ख`, जज `क` के रिश्तेदार वकीलों का पक्ष लेता है। इसे ही हम परस्पर भाई - भतीजावाद कह सकते हैं।	एक मात्र तरीका जिससे परस्पर भाई-भतीजावाद, जूरी-सिस्टम काम कर सकता है, वह है- जूरी **`क`** के 12 जूरी/निर्णायक मण्डल के सदस्य और जूरी **`ख`** के 12 अन्य जूरी/निर्णायक मण्डल के सदस्य साँठ-गाँठ/मिली-भगत बना लेते हैं। जूरी **`क`** जूरी **`ख`** के रिश्तेदार वकीलों का पक्ष लेता है और जूरी **`ख`** उन वकीलों का

	पक्ष लेगा जिनके रिश्तेदार जूरी `**क**` में हैं। वकीलों के ऐसे जोड़े और जूरी-सदस्यों के जोड़े ढूंढ़ना और 5 से 15 दिनों के भीतर सौदा कर पाना गणित के हिसाब से असंभव है।
जज प्रणाली(सिस्टम) में, मान लीजिए, किसी गैंग मालिक के खिलाफ 4-5 वर्षों में लगभग 1000 मुकद्दमें दर्ज हुए। ये सभी मुकद्दमें केवल 5-10 जजों/न्यायाधीशों के ही पास जाऐंगे।	जूरी प्रणाली(सिस्टम) में हर मुकद्दमा 12-15 अलग-अलग जूरी/निर्णायक मण्डल के सदस्य के पास जाता है जो जिला, राज्य और राष्ट्र से क्रमरहित/रैंडम तरीके से चुने गए होते हैं। इस प्रकार, ये 1000 मुकद्दमें, 12000 से 15,000 जिले/राज्य अथवा राष्ट्र में जाऐंगे।
इस प्रकार गवाहों को हतोत्साहित करने अथवा तत्काल छूटकारे के लिए मुकद्दमें में विलम्ब/देरी करने के उद्देश्य से गैंग नेता को केवल 5-10 जजों/न्यायाधीशों से साँठ-गाँठ/मिली-भगत बनाना पड़ता है।	जूरी प्रणाली(सिस्टम) में लम्बा विलम्ब शायद ही कभी होता है और हरेक जूरी को केवल एक ही मुकद्दमा दिया जाता है। 11 बजे सुबह से लेकर 4 बजे शाम तक उसके पास इस एकमात्र मुकद्दमें की सुनवाई होती है और अधिकांश अगली तारीख अगले दिन की ही होती है। और इसमें गैंग मालिक को 12,000 जूरी/निर्णायक मण्डल के सदस्य के साथ साँठ-गाँठ/मिली-भगत बनाना पड़ेगा। इसलिए, 5 वर्षों में 1000 मुकद्दमों में रिहाई प्राप्त करने के लिए गैंग नेता को 12,000 जूरी/निर्णायक मण्डल के सदस्य के साथ साँठ-गाँठ/मिली-भगत कायम करने की जरूरत पड़ेगी।
यदि गैंग मालिक 5-10 जजों/न्यायाधीशों के साथ साँठ-गाँठ/मिली-भगत कायम करने में किसी तरह कामयाब हो जाता है तो वह 99 प्रतिशत मुकद्दमों में रिहाई/विलम्ब कराने में सफल हो सकता है।	इसलिए, पांच वर्षों में 1000 मुकद्दमों में रिहाई के लिए गैंग मालिक को 12000 जूरी/निर्णायक मण्डल के सदस्य के साथ साँठ-गाँठ/मिली-भगत कायम करने की जरूरत पड़ेगी।
मान लीजिए, 5 वरिष्ठ वकीलों के साथ 20 कनिष्ठ/जूनियर/छोटे वकील हैं जो उनके लिए काम करते हैं। मान लीजिए, ये लोग साथ मिलकर किसी जिले में लगभग 1000 मुकद्दमें 4 वर्षों की अवधि में लेते हैं।	मान लीजिए, 5 वरिष्ठ वकीलों के साथ 20 कनिष्ठ/जूनियर/छोटे वकील हैं जो उनके लिए काम करते हैं। मान लीजिए, ये लोग साथ मिलकर किसी जिले में लगभग 1000 मुकद्दमें 4 वर्षों की अवधि में लेते हैं।
इनमें से अधिकांश मुकद्दमों के लिए उस जिले में लगभग 20 न्यायाधीश तैनात किए जाते हैं।	ये मुकद्दमें एक वर्ष में 12000 जूरी/निर्णायक मण्डल के सदस्य के पास जाते हैं।
3-6 महीनों के भीतर, ये 5 वकील इन 10-20 न्यायाधिशों से साँठ-गाँठ/मिली-भगत बना लेते हैं।	इनमें से 2 प्रतिशत के साथ भी ऐसे साँठ-गाँठ/मिली-भगत बनाने का समय नहीं होगा।

जगा के आभाव में ऊपर प्रजा आधीन राजा (राइट टू रिकॉल और ज्यूरी सिस्टम/प्रणाली) के बारे में बहत संक्षिप्त में हमने बताने का प्रयत्न किया हे | ज्यादा पढ़ने के लिए http://righttorecall.com/301.h.pdf पढ़े

<u>तीन लाइन का क़ानून कुछ ही महीनों में भ्रषटाचार और गरीबी कम कर सकता है | आम आदमी को पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव करने का अधिकार</u>

आज यदि हमें कोई शिकायत या प्रस्ताव करना होता है और उसे यदि लाखों करोड़ों व्यक्ति समर्थन भी करते हैं तो भी वो शिकायत/प्रस्ताव को नेता, बाबू , न्यायाधीश या मीडिया द्वारा दबा दिया जाता है. उदाहरण से यदि आप के यहाँ कोई भ्रष्ट मंत्री है और लाखों लोग उसके खिलाफ शिकायत करना चाहते हैं कि इसे हटना चाहिए और आप एक पत्र लिखते हैं प्रधानमन्त्री को इस विषय में .तो पहले तो प्रधानमंत्री के पास पत्र पड़ने के लिए समय ही नहीं होगा. और लाखों पात्र लिखें जाएँ या लाखों लोग के हस्ताक्षर भी लिए जायें तो भी नेता या अफसर या मीडिया उसको दबा देता है क्योंकि हमारे देश में नागरिकों के हस्ताक्षर का कोई रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं है जिससे वो हस्ताक्षर मिला कर जांच कर सकें | इस कारण, हस्ताक्षर की कोई विश्वसनीयता नहीं है और हस्ताक्षर जाली है , ये घोषित कर शिकायत दबा दी जायेगी |

`पारदर्शी`शब्द को परिभाषित करना चाहूँगा -वो शिकायत/प्रस्ताव जो कोई नागरिक कभी भी ,कहीं भी ,किसी अन्य नागरिक द्वारा दी गयी को देख सके और जांच कर सके ताकि कोई नेता, कोई बाबू , कोई जज या मीडिया दबा नहीं सके .

ऐसा एक सरल प्रक्रिया प्रस्तावित है जिसको `जनता की आवाज़` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) बोला जाता है जो केवल तीन लाइन का है.

इसके ड्राफ्ट का सार निम्नलिखित है :-

1. यदि नागरिक चाहे तो अपनी फरियाद २० रूपये हर पेज देकर कलेक्टर की कचहरी जाकर पधानमंत्री के वेबसाइट पर रखवा सकेगा।
2. यदि नागरिक चाहे तो ३ रुपये का शुल्क देकर फरियाद पर अपनी हाँ/ना पधानमंत्री वेबसाइट पर दर्ज करवा सकेगा।
3. हाँ/ना पधानमंत्री पर अनिवार्य नहीं है।

<u>पूरा ड्राफ्ट देखें, केवल तीन लाइन का है |</u>

	अधिकारी	प्रक्रिया
१.	कलेक्टर (और उसके क्लर्क)	कोई भी महिला, दलित मतदाता, गरीब मतदाता, वृद्ध मतदाता, मजदुर मतदाता,किसान मतदाता या कोई भी नागरिक मतदाता यदि खुद हाजिर होकर यदि अपनी सूचना अधिकार का आवेदन अर्जी या भ्रस्टाचार के खिलाफ फरियाद या कोई भी हलफ़नामा / एफिडेविट कलेक्टर को देता है तो कोई भी दलील दिये बिना कलेक्टर (या उसका क्लर्क) उस हलफ़नामा / एफिडेविट को प्रति पेज २० रूपये का लेकर सीरियल नंबर दे कर पधानमंत्री वेबसाइट पर रखेगा।
२.	पटवारी (तलाटी लेखपाल)	कोई भी महिला मतदाता, दलित मतदाता या कोई भी मतदाता यदि कलम-१ द्वारा दी गई अर्जी या फरियाद या हलफ़नामा / एफिडेविट पर आपनी हाँ या ना दर्ज कराने मतदाता कार्ड लेकर आये, ३ रुपये का शुल्क लेकर पटवारी नागरिक का मतदाता संख्या, नाम, उसकी हाँ या ना को कंप्यूटर में दर्ज करेगा। नागरिक की हाँ या ना प्रधानमंत्री की वेब-साईट पर आएगी। पटवारी नागरिक की हाँ या ना ३ रूपये देकर बदलेगा। गरीबी रेखा नीचे के नागरिको से शुल्क १ रूपये का होगा।
३.	----------	ये कोई रेफेरेनडम/जनमत-संग्रह नहीं है.यह हाँ या ना अधिकारी, मंत्री,

		न्याधीश, सांसद, विधायक, अदि पर अनिवार्य नही होगी। लेकिन यदि भारत के ३७ करोड़ मतदाता, वृद्ध मतदाता या कोई भी ३७ करोड़ नागरिक मतदाता कोई एक अर्जी, फरियाद पर हाँ दर्ज करे तो पधानमंत्री उस फरियाद, अर्जी पर ध्यान दे सकते हे या नही दे सकते, या इस्तीफा दे सकते हैं । उनका निर्णय अंतिम होगा।

इस क़ानून को पारित करने के लिए एक मात्र प्रधानमन्त्री या मुख्यामंत्री के हस्ताक्षर चाहिए. यह प्रस्तावित `जनता की आवाज़` क़ानून या राजपत्र अधिसूचना मात्र कुछ ही महीनों में गरीबी कम कर सकता है, पुलिस में भ्रष्टाचार नहीं वत कर सकता है और सेना मजबूत कर सकता है |

अब मान लीजिए के प्रधान मंत्री ने इसपर हस्ताक्षर कर दिए हैं, और पहले वाले उदहारण के अनुसार यदि आप के यहाँ का मंत्री भ्रष्ट है , तो आप या कोई भी किसी भी कलेक्टर के दफ्तर जा कर मंत्री के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकता है और उसे हटाने के लिए भी लिख सकता है | इस शिकायत को कलेक्टर या उसका क्लेर्क स्कैन कर लेगा और प्रधान मंत्री के वेब-साईट पर डाल देगा | अब क्योंकि इस शिकायत का एक-एक शब्द दुनिया के लाखों-करोड़ों लोग देख सकते हैं, कभी भी, इसीलिए इस शिकायत को जरा भी छेद-छादनहीं किया जा सकता है बिना लाखों लोगों को पता लगे | और इसके समर्थन में व्यक्ति को कलेक्टर के दफ्तर नहीं जाना, केवल अपने पास के पटवारी या तलाटी , जो भूमि का रिकॉर्ड रखता है , के पास जाना है और अपना वोटर आई.डी. के विवरण आर अंगुली की छाप देगा और वो भी वेब-साईट पर आ जायेगी | इस तरह कोई भी ये नहीं कह सकता कि समर्थक जाली हैं| उल्टा जो व्यक्ति या मीडिया इस को नहीं उठाएगा , उसकी विश्वसनीयता कम हो जायेगी | इसिलिए मीडिया वाले भी उठाएंगे और देश भर में लोग जान जाएँगे कि इस मंत्री के खिलाफ लाखों लोगों की शिकायत है और संभवतः और लोग भी इसका फिर पटवारी के दफ्तर जा कर इस शिकायत के साथ नाम जोड़ें| और ये लाखों लोग शिकायत करने के बाद ऐसे ही नहीं बैठे रहेंगे, वो अपने स्थान के विधायक,सांसद, आदि लोगों पर दबाव डालेंगे कि देखो, लाखों लोग बोल रहे हैं कि इस भ्रष्ट मंत्री को निकालो, तो फिर ये दबाव उन सांसदों और उन सांसदों द्वारा प्रधान-मंत्री पर भी आएगा| सांसद प्रधान-मंत्री को बोलेंगे कि हमारी लोकप्रियता दिनों दिन कम होती जा रही है| ऐसा ना हो कि हम अगले चुनाव तक बिलकुल ही जीरो हो जाएँ या उससे पहले भी लोगों का गुस्सा हमें झेलना पड़े, इसीलिए आप ये मंत्री पर कार्यवाई करें | इस प्रकार जनता के दबाव से ये प्रक्रिया काम करेगी और लाखों -करोड़ों लोगों की शिकायत या प्रस्ताव को सरकार को सुनना होगा |

अब क्या यह संभव है की मात्र ३ कलम का कोई क़ानून इतने सारे परिवर्तन ला सकता है? और वह भी मात्र ३-४ महीनों में? और ऐसा क़ानून यदि मुमकिन है, तो आजतक भारत के बुद्धिजीवी ऐसा क़ानून क्यों ढूंढ नहीं पाये? और यह तथ्य कि बुद्धिजीवी ऐसा कोई ३-४ कलमों का कानून नहीं ढूंढ पाये -क्या यह साबित नहीं करता की ऐसा रामबाण क़ानून हो ही नहीं सकता? आपको तय करना है.

इस क़ानून के पारित होने से भ्रष्टाचार कैसे कम होगा ? - भ्रष्टाचार-जिससे अधिकतर अन्य समस्याओं का जन्म हुआ है | आज देश में सब नेता वोट के समय तो आगे पीछे घूमते हैं लेकिन चुनाव के बाद 5 साल के लिए प्रजा को भूल जाते हैं और खुल के अधिकारीयों के साथ भ्रष्टाचार करते हैं | नेता जनता की सेवा के लिए है. अगर वो जनता की सेवा नहीं करता तो उसे हटाने का अधिकार प्रजा के पास होना चाहिए | ऐसी `**प्रजा अधीन राजा**` की व्यवस्था हमारे देश में थी. `सत्यार्थ प्रकाश` जो स्वामी दयानद द्वारा लिखी गयी है के छट्टे चैप्टर में स्पष्ट लिखा गया है कि राजा प्रजा अधीन होना चाहिए नहीं तो वो प्रजा को उसी तरह खा जायेगा जिस तरह शेर हिरन को खा जाता है. और ये श्लोक सीधे अथर्व वेद से लिया है ऐसा स्वामी दयानंद ने बताया है. ये व्यवस्था हमारे देश में पुरातन समय में थी |

जब से हमने `प्रजा अधीन राजा` कि व्यवस्था को छोड़ दिया तभी से हमारा पतन हुआ है | इसी लिए हमें `प्रजा अधीन राजा` या `Right to recall` दोबारा लाना चाहिए | पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली क़ानून के पारित होने पर

`प्रजा अधीन राजा` क़ानून को पारित करना आसान हो जायेगा क्योंकि इसके द्वारा प्रजा अधीन राजा के ड्राफ्ट डाले जा सकते हैं और लाखों-करोड़ों लोग इस जन हित के क़ानून के पक्ष में समर्थन करेंगे, तो सरकार को इस सरकारी अधिसूचना पर हस्ताक्षर करने ही होंगे | बिना इसके प्रजा अधीन राजा/राईट टू रिकाल क़ानून को पारित करना मुश्किल या असंभव है | और प्रजा अधीन राजा क़ानून अधिकारीयों पर लटकती तलवार जैसे होगी जिससे वे भ्रष्टाचार नहीं करेंगे | कुछ एक दो अधिकारी भी अगर प्रजा अधीन राजा क़ानून द्वारा निकाले गए तो बाकी सब अधिकारी/नेता/न्यायाधीश भ्रष्टाचार करने का साहस नहीं करेंगे | प्रधान-मंत्री,मुख्यंत्री,जजों,अधिकारी जैसे लोकपाल,जिला शिक्षा अधिकारी, जिला पुलिस कमिश्नर आदि यदि भ्रष्ट हो जाते हैं तो जनता उन्हें बदल सके ऐसा अधिकार मिल जाए ,तो ये सब जनता के प्रति जवाबदार हो जाएँगे और जनता से विश्वासघात नहीं करेंगे |

दूसरे देशों में फैसले कुछ ही हफ़्तों में या महीनों में क्यों आ जाते हैं जबकि हमारे देश में ये फैसले महीनों लग जाते हैं ? क्योंकि वहाँ प्रजा अधीन न्यायाधीश या Right to Recall Judge है | न्यायाधीश व्यवस्था नहीं रखेंगे तो जनता उन्हें निकाल देंगे | दूसरे देशों में क़ानून तोड़ने पर इंस्पेक्टर घुस नहीं लेता, या तो जुर्माना करता है या तो चेतावनी दे कर छोड़ देता है. ऐसा इसी लिए करता है क्योंकि पुलिस कमिश्नर स्टिंग ऑपरेशन करता है और उसे डर रहता है कि ये भी कोई स्टिंग ऑपरेशन ना हो. आप पूछेंगे कि पुलिस कमिश्नर को क्या पड़ी है की वो इंस्पेक्टर का स्टिंग ऑपरेशन करे? ऐसा इसीलिए करता है क्योंकि वहाँ प्रजा अधीन पुलिस कमिश्नर (right to recall police commissioner) है .इसका ड्राफ्ट www.righttorecall.info/301.h.pdf चैप्टर २२ में दिया है| यदि पुलिस कमिश्नर क़ानून और व्यवस्था नहीं बना कर रखता ,तो जनता उसे निकाल देगी.

मात्र 3 लाइन का यह जनता की आवाज (सूचना का अधिकार-2) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली गरीबी को 4 महीने में ही कैसे कम कर सकता है ?

मान लीजिए आप के पास एक किराये का मकान है और आप ने उसको किराये पर दिया है, तो फिर किराया किसको जाना चाहिए, आपको या सरकार को ? आप कहेंगे कि आप को जाना चाहिए | ऐसे ही आप को यदि पूछें कि यदि एक मकान जिसके दस बराबर के मालिक हैं , किराये पर दिया है, तो किराया किसको जाना चाहिए ? आप कहेंगे कि दस मालिकों को बराबर-बराबर किराया जाना चाहिए | इसी तरह यदि कोई बहुत बड़ा प्लाट हो , जिसके 120 करोड़ मालिक हैं ,यानी पूरा देश मालिक है और वो किराये पर दिया है ,तो उसका किराया पुरे देश वासियों ,120 करोड़ लोगों में बराबर-बराबर बटना चाहिए | ऐसे प्लाट हैं जिसके 120 करोड़ मालिक हैं? जी हाँ , आई आई एम ए प्लॉट, जे एन यू प्लॉट, सभी यू जी सी प्लॉट, अहमदाबाद एयरपोर्ट प्लॉट, सभी एयरपोर्टों के प्लॉट और हजारों ऐसे भारत सरकार के प्लॉटों से मिलने वाला जमीन का किराया और भारत के सभी खनिजों, कोयला और कच्चे तेल से मिलने वाली सारी रॉयल्टी हम भारत के नागरिकों और हमारी सेनाओं को जानी चाहिए किसी और को नहीं। और यह रॉयल्टी व किराया सीधे ही मिलना चाहिए किसी योजना या स्कीम के जरिए नहीं। एक तिहाई हिस्सा सेना को जाना चाहिए देश की रक्षा के लिए और बाकी दो तिहाई नागरिकों को बराबर-बराबर बटना चाहिए | एक अनुमान से यदि ऐसा होता है तो हर एक नागरिक को लगबग 400-500 रुपये महीना मिलेगा जिससे देश की गरीबी कम हो जायेगी|

जिस दिन नागरिक प्रधानमंत्री को जनता की आवाज (सूचना का अधिकार-2) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली पर हस्ताक्षर करने को बाध्य करने में सफल हो जाते हैं, उसी दिन मैं जनता की आवाज (सूचना का अधिकार-2) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली ड्राफ्ट को शपथपत्र/एफिडेविट के तौर पर जमा करवा दूँगा। नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम आर सी एम) प्रस्ताव क्या है? इस ड्राफ्ट/प्रारूप में एक प्रशासनिक तरीके/प्रक्रिया को बताया गया है जिससे राष्ट्रीय स्तर के अधिकारी हर नारिक को लगभग 500 रूपए (कम या अधिक हो सकता है) प्रति महीने भेज सकेंगे | अब

बताएं कि कितने करोड़ नागरिक, आप समझते हैं, १०० % नैतिक लगभग 500 रूपए (कम या अधिक हो सक्ता है) प्रति महीने नहीं लेना चाहते हैं? मैं मानता हूँ कि 40 करोड़ से ज्यादा नागरिक 100 प्रतिशत नैतिक रूपए चाहते हैं। और इसलिए जनता की आवाज (सूचना का अधिकार-2) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली यह सुनिश्चित करेगा कि प्रधानमंत्री नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम आर सी एम) ड्राफ्ट/प्रारूप पर हस्ताक्षर करने को बाध्य हैं। और जब एक बार नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम आर सी एम) ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर हो जाता है तो हम आम नागरिकों में से हर एक नागरिक को हर महीने 500 रूपए (कम या ज्यादा हो सकता है) के लगभग मिलेगा। और इस प्रकार गरीबी कम होगी।

क्या नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम आर सी एम) ड्राफ्ट पारित करवाने के लिए जनता की आवाज (सूचना का अधिकार-2) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली ड्राफ्ट का भी होना जरूरी है?

यदि नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम आर सी एम) समर्थक संसद में बहुमत मिलने तक इंतजार करने और तब नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम आर सी एम) लागू करने पर अड़ जाता है तो ऐसी संभावना है कि नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम आर सी एम) समर्थक को हमेशा के लिए इंतजार ही करते रहना पड़ेगा क्योंकि पहले तो उन्हें संसद में बहुमत नहीं मिलेगा। और इससे भी बुरा होगा कि यदि उन्हें बहुमत मिल जाता है तो (इस बात की संभावना है) उनके अपने ही सांसद बिक जाएंगे और नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम आर सी एम) ड्राफ्ट पारित करने से मना कर देंगे। उदाहरण के लिए वर्ष 1977 में जनता पार्टी के सांसदों ने चुनाव से पहले वायदा किया था कि वे प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल कानून लागू करेंगे और चुन लिए जाने के बाद, बाद में उन्होंने प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल कानून पास करने से मना कर दिया। इसलिए मेरे विचार से, नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम आर सी एम) कार्यकर्ताओं को जनता की आवाज (सूचना का अधिकार - 2) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली ड्राफ्ट/प्रारूप पर जन-आन्दोलन पैदा करने पर ध्यान लगाना चाहिए और जनता की आवाज (सूचना का अधिकार - 2) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली ड्राफ्ट पारित करवाना चाहिए न कि चुनाव में जीतने तक इंतजार करना चाहिए ।

<u>नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम आर सी एम) प्रारूप/ड्राफ्ट - संक्षेप में</u>

आई आई एम ए प्लॉट, जे एन यू प्लॉट, सभी यू जी सी प्लॉट, अहमदाबाद एयरपोर्ट प्लॉट, सभी एयरपोर्टों के प्लॉट और हजारों ऐसे भारत सरकार के प्लॉटों से मिलने वाला जमीन का किराया और भारत के सभी खनिजों, कोयला और कच्चे तेल से मिलने वाली सारी रॉयल्टी हम भारत के नागरिकों और हमारी सेनाओं को जानी चाहिए किसी और को नहीं। और यह रॉयल्टी व किराया सीधे ही मिलना चाहिए किसी योजना या स्कीम के जरिए नहीं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए भारत सरकार के प्लॉटों से मिलने वाला किराया और खनिज रॉयल्टी दिसम्बर, 2008 में 45 हजार करोड़ रूपया थी। तब हम लोगों द्वारा प्रस्तावित कानून के मुताबिक 15 हजार करोड़ रूपया सेना को जाएगा और लगभग 500 रूपया प्रत्येक भारतीय नागरिक के पोस्ट-आफिस या बैंक खाते में सीधे ही जाएगा। यदि हरेक नागरिक महीने में एक या दो बार खाते से पैसा निकालता है तो भी इसके लिए भारत भर में 1,50,000 से ज्यादा क्लर्कों की जरूरत नहीं पड़ेगी। वर्तमान राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास 6,00,000 से ज्यादा क्लर्क हैं । इसलिए पैसे का वितरण कर पाना संभव है । नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम आर सी एम) ड्राफ्ट से होने वाले सीधे धन वितरण से हर साल प्रति व्यक्ति को 6000 रूपए से ज्यादा की आय हो सकती है अथवा जमीन या घर की कीमत कम हो सकती है। वह भी प्रति व्यक्ति न की प्रति परिवार । और इस तरह नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम आर सी एम) ड्राफ्ट गरीबी कम कर

देगा, आय बढ़ाएगा और सामानों की मांग बढेगी | इस प्रकार, सामानों की मांग बढ़ने से उधोग-धंधे बढ़ेंगे और फिर रोजगार बढ़ेगा। स्थानीय उधोग बढ़ने से इंजिनियरिंग कौशल में सुधार होगा और इससे हथियार बनाने के काम में भी सुधार होगा और जिससे गरीब हिन्दू क्रिश्चन-धर्म या नक्सलवाद या इन दोनों की ओर कम ही जाएगा। इस कानून के पारित होने के एक वर्ष के भीतर ही यदि तीसरा बच्चा पैदा होता है तो उसके माता-पिता को 33 प्रतिशत कम किराया मिलेगा। (जिनका पहले से ही तीसरा बच्चा है उनपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा) इस तरह यह कानून जनसंख्या पर भी नियंत्रण करेगा।

प्लॉट का नाम	क्षेत्रफल	कीमत, प्रति वर्ग मीटर	प्लॉट का बाजार- मूल्य
आई आई एम, अहमदाबाद	100 एकड़	40,000 रूपया	1400 करोड़ रूपया
आई आई एम, लखनऊ	200 एकड़	20,000 रूपया	1600 करोड़ रूपया
आई आई एम, लखनऊ(नोएडा)	10 एकड़	50,000 रूपया	200 करोड़ रूपया
आई आई एम, कोलकाता	135 एकड़	20,000 रूपया	1000 करोड़ रूपया
आई आई एम, इंदौर	190 एकड़	15,000 रूपया	500 करोड़ रूपया
जे एन यू	1000 एकड़	40,000 रूपया	16000 करोड़ रूपया
गुजरात विद्यापीठ	25 एकड़	40,000 रूपया	400 करोड़ रूपया
गुजरात विश्वविद्यालय	250 एकड़	35,000 रूपया	3500 करोड़ रूपया
कुल			27,000 करोड़ रूपया

इसलिए किराया क्या होगा यदि ये प्लॉट बिल्डरों को दिए जाते हैं। प्लॉट के बाजार मूल्य के 3 प्रतिशत पर इन 9 प्लॉटों का किराया = 27 हजार करोड * 3/100 = 810 करोड़ रूपए प्रति वर्ष = **सात रूपए प्रति नागरिक/वर्ष** । अब यह प्लॉट मुंबई एयरपोर्ट/हवाई अड्डा, अहमदाबाद हवाई अड्डा, बंगलौर हवाई अड्डा आदि जैसे प्रमुख प्लॉटों के मूल्यों की तुलना में कहीं नहीं ठहरता। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं –

प्लॉट का नाम	क्षेत्रफल	कीमत, प्रति वर्ग मीटर	अनुमानित बाजार मूल्य
अहमदाबाद एयरपोर्ट	1850 एकड़	40,000 रूपया	29,600 करोड़ रूपया
मुंबई एयरपोर्ट	1100 एकड़	100,000 रूपया	44,600 करोड़ रूपया
दिल्ली एयरपोर्ट	5000 एकड़	100,000 रूपया	200,000 करोड़ रूपया
बंगलौर एयरपोर्ट (नया)	4050 एकड़	10,000 रूपया	32,400 करोड़ रूपया
बंगलौर एयरपोर्ट (पुराना)	1000 एकड़	100,000 रूपया	40,000 करोड़ रूपया
कोलकाता एयरपोर्ट	1500 एकड़	30,000 रूपया	18,000 करोड़ रूपया
चेन्नई एयरपोर्ट	4800 एकड़	40,000 रूपया	76,800 करोड़ रूपया
कुल			**440,800 करोड़ रूपया**

(कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त जमीन की कीमतें 2010 के वास्तविक बाजार-मूल्य की तुलना में बहुत ही कम हैं जब यह दूसरा संस्करण/एडिशन लिखा जा रहा था।)

इसलिए किराया क्या होगा यदि यह प्लॉट बिल्डरों को दिया जाता है ? इन एयरपोर्ट प्लाटों का किराया प्लॉट के बाजार-मूल्य का 3 प्रतिशत की दर से = 440,800 करोड़ * 3/100 = 13,224 करोड़ प्रति वर्ष = **120 रूपया प्रति नागरिक प्रति वर्ष** !!

सरकार के पास एक अनुमान के अनुसार 50,000 प्लॉट हैं। यदि किराया प्रत्येक प्लॉट से औसतन प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 20 पैसे जितना कम भी हो तो किराया 12000 रूपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष से ज्यादा हो जाता है। या तो हम आम लोगों को यह किराया मिलेगा अथवा जमीन की कीमतों में बहुत कमी आएगी । (वास्तव में जमीन की कीमत ही घटेगी) जिससे हम आम लोगों को अपनी कम आय पर घर खरीदना संभव होगा और अपना व्यवसाय शुरू करना संभव होगा।

जगा के आभाव में ऊपर एम.आर.सी.एम. (MRCM) के बारे में बहत संक्षिप्त में हमने बताने का प्रयत्न किया हे | ज्यादा पढ़ने के लिए http://righttorecall.com/301.h.pdf चैप्टर ५ पढ़े

क्या जाली हाँ/ना मत डालने या मत बदलने की संभावना नहीं है ? - पर्याप्त सुरक्षा दी जाएगी जैसे मत डालने वाले का फोटो ,उसका वोटर आई.डी, उसका अंगुली का छाप, पासबुक जिसमें उस व्यक्ति का खता होगा जिमें उसके मत का विवरण होगा. व्यक्ति समस/SMS द्वारा भी अपने मत की वर्त्तमान स्थिति जान सकेगा | ये खाते बैंक के खाते जैसे होंगे. बैंक के खाते के जैसे बहुत कम संभावना होगी की इनको हैक किया जा सके ,लेकिन नतीजा बदलने के लिए हजारों ,लाखों की संख्या में हैक करना होगा जिसके लिए काफी घुस लगेगा .और हैक होने के बाद जब खता धरी को पता चलेगा की उसका मत बदल दिया गया है तो वो अपना मत वापस बदल सकता है. इसीलिए कोई विशेष प्रलोभन नहीं होगा किसी को की एक तो बड़ी घूस दे मत बदलने के लिए और फिर भी कोई संतोषजनक नतीजा न आये .इसी लिए ये व्यवस्था १००% विश्वसनीय/फूलप्रूफ होगी |

<u>राइट टू रिकॉल खंड - 10 में से 1 लोकपाल को बदलने का अधिकार नागरिको को होना चाहिए</u>

मान लीजिए कि आपकी एक फैक्ट्री/कंपनी है जिसमें 100 कर्मचारी हैं और सरकार एक कानून बनाती है की आप किसी भी कर्मचरी को ना ही निकाल सकते और ना नहीं निलंबित कर सकता हैं अगले 5 से 25 वर्षों तक उच्च न्यायलय/सुप्रीम-कोर्ट के बिना सहमति लिए हुए । तब अनुशासनहीनता बढ़ेगी या कम होगी ? हम नागरिक 10 लोकपाल को नियुक्त कर रहे हैं और जनलोकपाल ड्राफ्ट यह कहता है की हम नागरिक उन 10 में से 1 लोकपाल को भी नहींनिकाल सकते हैं बिना उच्चतम न्यायलय के न्यायाधीश की अनुमति के बिना !!

तो मेरा यह सुझाव है की कम से कम 10 में से 1 लोकपाल नागरिकों द्वारा हटाने/बदलने का अधिकार होना चाहिए यदि सभी 10 को न बुलाया जा सके । `सिविल सोसाइटी` में से अधिकतर यह विश्वास करते हैं कि हम आम नागरिक किसी बेईमान को ही नियुक्त करेंगे । पहले तो ऐसा है नहीं,लेकिन यदि उनकी बात मानें तो भी 10 में से 1 ही बेईमान होगा । बाकि बचे हुए लोकपाल नियुक्त किये जाएँगे `खोज और चयन समिति` के द्वारा और इसी लिए वो सभी ईमानदार होंगे । तो केवल एक बेईमान लोकपाल अधिक हानि नहीं पहुंचा सकता । तो 10 में से 1 के ऊपर राइट टू रिकॉल/`भ्रष्ट कों बदलने का आम नागरिकों का अधिकार` का विरोध क्यों है?

धारा-NN : नागरिक का लोकपाल को बदलने/निकालने/ख़ारिज करने/रखने का अधिकार (नागरिक का राईट टू रिकाल/रिजेक्ट/रिटेन लोकपाल सदस्य)

खंड #-(अफसर जिसके लिए निर्देश)

[प्रक्रिया/पद्धति]

खंड 1-

[नागरिक शब्द का अर्थ होगा रजिस्ट्रीकृत मतदाता/रजिस्टर्ड वोटर । यह पद्धति लागू होगी लोकपाल के केवल एक सदस्य के ऊपर जिसे **`नागरिक द्वारा नियुक्त/रखा गया लोकपाल सदस्य`** भी कहा जाता है । शुरुवात में वह नियुक्त किया जएगा लोकपाल चयन समिति द्वारा । इस धारा में "कर सकता है" का मतलब " कर सकता है या करने की जरुरत नहीं है " है और इसका मतलब किसी प्रकार से बाध्य/बंधनकारी नहीं है |]

खंड 2-(कलेक्टर को निर्देश)

[राष्ट्रपति कलेक्टर को यह निर्देश देता है की यदि कोई भरतीय नागरिक जिसकी आयु 40 वर्ष से अधिक हो और वह लोकपाल समिति/कमिटी में `नागरिकों द्वारा नियुक्त/रखा गया लोकपाल सदस्य` बन्ने की इच्छा रखता है और वह जिला कलेक्टर के कार्यालय में स्वयं/खुद आता है, जिला कलेक्टर उस उम्मीदवार को स्वीकार करेगा लोकपाल का सदस्य के लिए, सांसद चुनाव के जमा राशि जितनी राशि जमा करने के बाद । कलेक्टर उसके नाम और क्रमांक संख्या/सीरियल नंबर लोकपाल के वेबसाइट पर रखेगा | कोई भी चिन्ह नहीं दिया जायेगा |]

खंड 3-(तलाटी या पटवारी या लेखपालको निर्देश)

[यदि किसी जिले का कोई नागरिक , अपने नजदीक के तलाटी के कार्यालय जाकर 3 रुपये का शुल्क/फी देकर और किसी भी 5 व्यक्ति को `नागरिक द्वारा रखे गए/नियुक्त लोकपाल सदस्य` के लिए पसंद/अनुमोदन दे सकता है, तलाटी उसके अनुमोदन को कम्पुटर पर रखेगा और उसे एक रसीद देगा जिसमें समय/दिनांक और व्यक्ती की भी पसंद/अनुमोदन लिखी होगी ।` गरीबी रेखा से नीचे` (बी पी एल) राशन कार्ड वाले के लिए शुल्क/फी रु. 1 होगा ।]

खंड 4-(पटवारी को निर्देश)

[पटवारी या तलाटी लोकपाल के वेबसाइट में नागरिको की पसंद/अनुमोदन को रखेगा नागरिको के मतदान-पत्र संख्या के साथ ।]

खंड 5-(पटवारी को निर्देश)

[चुनाव कमिटी/समिति 10 लोकपाल नियुक्त करेंगे और ऊपर दिए हुए प्रस्ताव को जोड़कर 10 में से किसी 1 लोकपाल को नागरिकों द्वारा बदला जा सकता है । और ऐसी ही एक प्रक्रिया/पद्धति है जिसमे नागरिक `ना` रजिस्टर दर्ज करके `राइट टू रिजेक्ट` लोकपाल की तरह भी उसे प्रयोग कर सकते हैं|]

खंड 6-(लोकपाल को निर्देश)

[प्रत्येक महीने की 5 वीं तारीख को लोकपाल अध्यक्ष पिछले महीने के आखरी दिन तक के अनुमोदन/पसंद को वेबसाइट पर रखेगा ।]

खंड 7-(लोकपाल चयन समिति को निर्देश)

[यदि कोई उम्मीदवार को 24 करोड से अधिक अनुमोदन/पसंद मिले और वो वर्त्तमान `नागरिकों द्वारा रखा गया/नियुक्त लोकपाल सदस्य` के अनुमोदन से एक करोड़ भी ज्यादा है ,तब लोकपाल चयन समिति वर्तमान `नागरिकों द्वारा रखे गए/नियुक्त लोकपाल सदस्य` को इस्तिफा देने के लिए कह सकता है और सबसे द्वारा अनुमोदन प्राप्त उम्मीदवार को लोकपाल का `नागरिकों द्वारा रखे गए/नियुक्त लोकपाल सदस्य` बनाएगा । लोकपाल चयन समिति 24 करोड की सीमा रेखा को कम या बढ़ा सकता है 12 करोड और 36 करोड के बीच |]

खंड 8-(`नागरिक द्वारा रखे गए लोकपाल सदस्य` को बनाये रखने का अधिकार)

[नागरिक यह प्रक्रिया/पद्धति का प्रयोग किसी `नागरिक द्वारा रखे गए लोकपाल सदस्य` को बनाये रखने के लिए या वापस लाने के लिए, यदि कोई `नागरिक द्वारा रखे गए लोकपाल सदस्य` को निकाल दिया गया था परन्तु नागरिक उसे पद पर बनाये रखना चाहते हैं । अतः यह खंड **`लोकपाल को बनाये रखने का अधिकार`(राईट टू रिटेन)** के लिए भी निर्दिष्ट किया जाता है/जाना जायेगा ।]

खंड 9-(लोकपाल को ख़ारिज करने का अधिकार(राईट टू रिजेक्ट))

[यदि कोई नागरिक पटवारी के दफ्तर जाकर और किसी लोकपाल के कमिटी/समिति के सदस्य जो नागरिकों द्वारा रखा गया है ,का नाम लेकर उसके विरोध में `ना` दर्ज करवाना चाहे तो पटवारी उसका नाम दर्ज करेगा, मतदाता संख्या/नंबर और उम्मीदवार की संख्या/नंबर और 3 रुपया का शुल्क/ फी लेकर उसे रसीद देगा । और यदि 24 करोड नागरिक उस `नागरिकों द्वारा रखा गया लोकपाल सदस्य` के ऊपर `ना` दर्ज करवाते हैं, तो लोकपाल चयन समिति उसे लोकपाल सदस्य समिति से इस्तीफा देने के लिए विनती कर सकती है ।]

खंड 10-(कलेक्टर को निर्देश)

[यदि कोई नागरिक इस कानून में बदलाव करना चाहे, तो वे अपना एफिडेविट जिला कलेक्टर के दफ्तर पर जमा करेगा और जिला कलेक्टर या उसके क्लर्क उस एफिडेविट को 20 रुपये प्रति पन्ना का शुल्क/ फी लेकर लोकपाल के वेबसाइट पर रखेगा ।]

खंड 11-(तलाटी या पटवारी को निर्देश)

[यदि कोई नागरिक इस कानून या इसके किसी खंड के विरोध दर्ज करवाना चाहे या किसी ऊपर दिए हुए खंड के द्वारा गए किसी जमा किये हुए एफिडेविट पर अपना हाँ/ना दर्ज करवाना चाहे तो वह तलाटी के दफ्तर जाकर ,अपने मतदान पत्र लेकर, तलाटी को 3 रुपये का शुल्क/ फी देना पड़ेगा | तलाटी हाँ/ना को लोकपाल के वेबसाइट पर दर्ज करेगा और उसे रसीद देगा ।]

लोकपाल चयन समिति 10 लोकपाल सदस्य को नियुक्त करती है और ऊपरोक्त प्रस्तावित जोड़े जाने के लिए खंड नागरिकों को दस में से एक लोकपाल को बदले जाने का अधिकार देता है | एक ऐसी ही प्रक्रिया जिसमें नागरिक अपने `ना` दर्ज करा सकते हैं **`राईट टू रिजेक्ट लोकपाल(लोकपाल को ख़ारिज करने का नागरिकों का अधिकार)** के जैसे प्रयोग की जा सकती है |

यहा पे प्रजा आधीन राजा (राईट टू रिकोल और ज्यूरी सिस्टम) और बाकि कई अन्य कानूनो के बारे में जगा के आभाव से थोड़ी सी ही जानकारी दी हे | अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी मुफ्त किताब इस वेबसाइट से पढ़िए : http://righttorecall.com/301.h.pdf

वार्तालाप के लिए फोरम :- http://forum.righttorecall.com

फेसबुक ग्रुप :- https://www.facebook.com/groups/rrgindia/

फेसबुक पेज :- https://www.facebook.com/rightorecall